सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 608 राँची, मंगलवार, 7 भाद्र, 1938 (श०)

29 अगस्त, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

5 जुलाई, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-995/जेल, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 एवं पत्रांक-1798/जेल, दिनांक 21 जून, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3916, दिनांक 12 मई, 2016, पत्रांक-4817, दिनांक 8 जून, 2016 एवं संकल्प सं०-219, दिनांक 9 जनवरी, 2017
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-91, दिनांक 10 मार्च, 2017

संख्या-5/आरोप-1-35/2016 का.-7764-- श्री संजय कुमार सिंह, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच 'सीमित', गृह जिला- कोडरमा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिमडेगा-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, सिमडेगा के विरूद्ध कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-995/जेल, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1- मंडल कारा, सिमडेगा में दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को कारा में संसीमित विचाराधीन बंदी एनोस एक्का को कारा हस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए श्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के निमित विशेष सुविधा उपलब्ध कराने से विभाग की छवि धूमिल हुई । यह आपके अक्षमता, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है ।

आरोप सं०-2- श्री संजय कुमार सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, सिमडेगा द्वारा विचाराधीन बंदी एनोस एक्का को श्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री से काराओं में अधिष्ठापित Visitor Management System के माध्यम से फोटोयुक्त पर्ची के बिना ही मुलाकात कराया गया । उक्त बंदी मुलाकात गलत ही नहीं बल्कि गंभीर कर्त्तव्यहीनता एवं षडयंत्र का द्योतक है । साथ ही, यह इनके स्वेच्छारिता एवं गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है ।

आरोप सं०-3- विचाराधीन बंदी एनोस एक्का द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को ही अपने परिवार के सदस्य से मुलाकात की गई थी । कारा हस्तक नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि विचाराधीन बंदी का मुलाकात 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्तराल में होगा । फिर भी इनके द्वारा संदर्भित मुलाकात की व्यवस्था एक दिन के बाद ही किया गया। यह घोर अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं कारा हस्तक नियम 635ए के उल्लंघन को दर्शाता है ।

आरोप सं०-4- बंदी श्री एनोस एक्का और श्री मधु कोड़ा को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अपनी स्वेच्छा से करीब 40 मिनट तक मुलाकात कराया गया । साथ ही, इन दोनों की मुलाकात अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष के सामने वाले कक्ष में कराया गया, जो नियमानुकूल नहीं है । यह आरोप गंभीर प्रवृति के हैं एवं आपके उदण्डता, कर्त्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण का द्योतक है ।

आरोप सं०-5- विचाराधीन बंदी एनोस एक्का विधान सभा के सदस्य भी हैं, ऐसे में इनके सुरक्षा एवं अन्य दृष्टिकोण से कौन-कौन व्यक्ति कब-कब इनसे मुलाकात करता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था । यदि श्री मधु कोड़ा को इनसे मिलना था तो इसकी सूचना तत्क्षण कारा निरीक्षणालय को देनी चाहिए था लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । यदि इन दोनों के मुलाकात के निमित कनीय कर्मियों व प्रभारी कारापाल से लापरवाही बरती गयी थी, तो उनको चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करना इनकी सहभागिता को दर्शाता है । यह गंभीर अनुशासनहीनता है एवं कर्मचारी आचार संहिता के प्रतिकूल है । यह कारा हस्तक नियम-172(2) का भी स्पष्ट उल्लंघन है ।

आरोप सं०-6- उक्त मामले के संबंध में दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-846/जेल, दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के माध्यम से अधीक्षक, मंडल कारा, सिमडेगा से स्पष्टीकरण की माँग की गई । इसके आलोक में इनके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-385, दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में यह अंकित किया

गया है कि "मुलाकती से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की गयी थी", जो तथ्यहीन है तथा वरीय पदाधिकारियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है । यह कार्य इनके घोर अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता, संदिग्ध आचरण, Insubordination एवं एक अयोग्य पदाधिकारी होने का द्योतक है ।

आरोप सं०-7- उक्त घटना के पूर्व भी दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश सिमडेगा के ज्ञापांक-239-241 दिनांक 29 फरवरी, 2016 के स्पष्ट आदेश के बावजूद संदर्भित विचाराधीन बंदी को बिना पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा द्वारा समुचित सुरक्षा प्राप्त किये बिना तीन दिनों के पैरोल (आन्तरिक जमानत) पर कारा से मुक्त किया जाय । इस निमित प्रभारी कारापाल एवं अपने स्पष्टीकरण में उक्त आचरण को सही दर्शाने का प्रयास किया जाना इनकी सहभागिता का द्योतक है । श्री संजय कुमार सिंह काराधीक्षक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अवकाश पर थे । परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कारा निरीक्षणालय को सूचित नहीं किया गया, जबकि दिनांक 18.08.15 को विचाराधीन बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-2124 दिनांक 20 अगस्त, 2015 द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया था । यह उनके स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3916, दिनांक 12 मई, 2016 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक-274, दिनांक 23 मई, 2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है । श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4817, दिनांक 8 जून, 2016 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य उपलब्ध कराने अनुरोध किया गया । कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1798/जेल, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची ने श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी । श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-219, दिनांक 9 जनवरी, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-91, दिनांक 10.03.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं इस पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है-

आरोप सं0-1 पर बचाव बयान- मण्डल कारा सिमडेगा में दिनांक 05.04.2016 को कारा में संसीमित विचाराधीन उच्च श्रेणी बंदी एनोस एक्का को कारा हस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए श्री मधु

कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री झारखण्ड से मुलाकाती के निमित विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उच्च श्रेणी बंदी से मुलाकाती के लिए पूर्व से निर्धारित स्थल, जो कारा अधीक्षक के कार्यालय कक्ष के सामने अवस्थित है, वहाँ मुलाकात कराई गई है। श्री मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री झारखण्ड द्वारा दिनांक 05.04.2016 को मण्डल कारा सिमडेगा के कार्यालय में उच्च श्रेणी बंदी एनोस एक्का से मुलाकात के लिए अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था, जिसे कारापाल द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत किया गया, इनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई हेतु निदेश अंकित किया गया। श्री सिंह अंचल अधिकारी सिमडेगा के पद के अतिरिक्त दिनांक 07.01.2016 से कारा अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार में थे। उच्च श्रेणी बंदियों के विषिष्ट व्यक्ति से मुलाकाती के संबंध में ज्यादा अनुभव नहीं था, जिसके कारण जिला के वरीय पदाधिकारी एवं कारा के स्थानीय प्राधिकार उपायुक्त, सिमडेगा से दूरभाष द्वारा मार्गदर्शन की माँग की गई। उपायुक्त सिमडेगा के पत्रांक 288(ii)/गो0 दिनांक 5 अप्रैल, 2016 द्वारा कारा हस्तक नियम की सुसंगत धाराओं के परिप्रेक्ष्य में एनोस एक्का विधायक, कोलेबिरा वि०स०क्षे० को श्री मधु कोडा पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड से मुलाकात हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। निदेश के अनुपालन में कारा हस्तक अधिनियम की धारा 622 एवं 627 के तहत विशेष परिस्थिति में कारापाल को नियमानुसार मुलाकाती कराने हेतु सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरान्त मुलाकाती कराने का निर्देश दिया गया । चूँकि कारापाल कारा हस्तक अधिनियम 222 के तहत कारा के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं । ऐसी स्थिति में मुलाकाती से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी थी तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के मामले से इनको अवगत नहीं कराया गया था, इन्हें भ्रम में रखा गया। इसकी जानकारी तब प्राप्त हुई, जब कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड के पत्रांक 846 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में कारापाल से संबंधित बिन्दुओं पर कारा के पत्रांक-378 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई, जो इनके द्वारा कारा अधीक्षक प्रतिवेदन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 26 पर अंकित किया गया है।

आरोप सं०-2 पर बचाव बयान- नियमानुसार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मुलाकाती कराने का निर्देश कारापाल को दिया गया था, जो कारा हस्तक अधिनियम 222 के तहत कारा के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। मुलाकाती से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का पालन, VMS के माध्यम से फोटोयुक्त पर्ची के बिना ही मुलाकाती कराए जाने संबंधी मामले से इनको अवगत नहीं कराया गया था ।

आरोप सं०-3 पर बचाव बयान- उच्च श्रेणी बंदी एनोस एक्का द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को अपने परिवार के सदस्य से मुलाकात की गई थी । आरोप खण्ड में अंकित किया गया है कि विचाराधीन बंदी की मुलाकाती 15 दिनों के अंतराल पर होना है । इस संबंध में स्पष्ट करना है कि वर्तमान में

झारखण्ड की सभी काराओं में विचाराधीन बंदियों को मुलाकाती 7 दिनों के अंतराल पर तथा सजायाफ्ता बंदियों का मुलाकाती 15 दिनों के अंतराल पर कराया जा रहा है । चूँकि श्री मधु कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा वर्तमान विधान सभा सदस्य एनोस एक्का से मिलने हेतु समर्पित आवेदन तथा उपायुक्त, सिमडेगा के निर्देश के आलोक में मुलाकातीकर्ता के एक विशिष्ट व्यक्ति होने के कारण कारा हस्तक अधिनियम 622 तथा 627 में निहित प्रावधानों के द्वारा कारा अधीक्षक को निहित शक्ति के आलोक में विशेष परिस्थिति में मुलाकात करायी गई ।

आरोप सं0-4 पर बचाव बयान- कारा हस्तक अधिनियम 627- The time allowed for an interview shall not allowed ordinarily exceed 20 minutes but may be extended by the Superintendent at his discretion के आलोक में विषेष परिस्थिति में 20 मिनट से अधिक मुलाकाती करायी गई है । उच्च श्रेणी बंदी से मुलाकाती के लिए पूर्व से निर्धारित स्थल, जो कारा अधीक्षक के कार्यालय कक्ष के सामने अवस्थित है, वहाँ विचाराधीन उच्च श्रेणी बंदी एनोस एक्का से श्री मधु कोड़ा, राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात कराई गई है ।

आरोप सं०-5 पर बचाव बयान- सुरक्षा एवं अन्य दृष्टिकोण से नियमानुसार सुरक्षा जाँच के उपरांत ही मुलाकातियों को मण्डल कारा, सिमडेगा में संसीमित बंदियों से मुलाकात कराया जाता है । विचाराधीन बंदी एनोस एक्का, विधान सभा सदस्य से मिलनेवाले मुलाकातियों की समुचित जाँच की जाती है। विचाराधीन बंदी एनोस एक्का से मिलने के लिए श्री मधु कोड़ा के द्वारा समर्पित आवेदन की सूचना तत्काल स्थानीय प्राधिकार उपायुक्त, सिमडेगा को दी गई थी तथा प्राप्त निर्देश के आलोक में विशेष परिस्थिति में मुलाकात करायी गई। उक्त दोनों की मुलाकात के लिए प्रभारी करापाल द्वारा VMS प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए इनके द्वारा कारा के पत्रांक-378 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रभारी कारापाल से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत इनके द्वारा अधीक्षक प्रतिवेदन पुस्तिका में भी संबंधित प्रभारी कारापाल को चेतावनी देते हुए अंकित की गई है, जिसकी प्रति कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को समर्पित इनके स्पष्टीकरण-मण्डल कारा सिमडेगा के पत्रांक-385 दिनांक 07.04.2016 के साथ संलग्न है ।

आरोप सं०-6 पर बचाव बयान- आरोप सं0-1, 2, 3, 4, एवं 5 में दिये गये बचाव बयान के सदृश्य ।

आरोप सं०-7 पर बचाव बयान- श्री सिंह दिनांक 7 जनवरी, 2016 से कारा अधीक्षक, सिमडेगा के अतिरिक्त प्रभार में थे । आरोप खण्ड में उल्लेखित दिनांक 18 अगस्त, 2015 को विभागीय बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-2124, दिनांक 20 अगस्त, 2015 का अवलोकन नहीं किया जा सका था । अवकाश की सूचना कारा निरीक्षणालय को दिए जाने संबंधी प्रावधान के संबंध में पूर्व कारा अधीक्षक एवं प्रभारी कारापाल द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी । दिनांक 28 फरवरी, 2016 एवं 29 फरवरी, 2016

को इनके अवकाश पर रहने के दौरान कारापाल को दैनिक कार्यो के लिए प्राधिकृत किए जाने संबंधी अधीक्षक प्रतिवेदन पुस्तिका में अंकित आदेश की उक्त कण्डिकावार लिखित बयान में अंकित तथ्यों के आलोक में इनके द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ कारा अधीक्षक के दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया गया है । कारा हस्तक में उल्लिखित सुसंगत धाराओं एवं उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन के क्रम में इनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता, उदण्डता नहीं बरती गई है ।

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोप संख्या-1 के संदर्भ में आरोप-पत्र (प्रपत्र-'क') अथवा आरोपों की विवरणी में कही यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कारा हस्तक के किन प्रावधानों का उल्लंघन कर आरोपी के द्वारा श्री मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री को बंदी श्री एनोस एक्का को मुलाकाती के निमित कौन सी विशेष सुविधा उपलब्ध करायी गयी, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई । लेकिन आरोपी के पत्रांक 385 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के द्वारा कारा महानिरीक्षक को समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मुलाकात में VMS (Visitor Management System की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी तथा विषेष परिस्थिति में उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कारा हस्तक नियम 635 का अनुपालन नहीं किया जा सका । आरोपी के द्वारा समर्पित साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि श्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को विचाराधीन बंदी श्री एनोस एक्का से मिलने हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर आरोपी का पृष्ठांकित आदेश है कि ''प्रभारी कारापाल, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें''। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक 228(पप)/गो०, दिनांक 5 अप्रैल, 2016 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''श्री मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा मंडल कारा, सिमडेगा के संसीमित उच्च श्रेणी विचाराधीन बंदी एनोस एक्का से मुलाकात के लिये अनुमति दिये जाने के संबंध मे आपके द्वारा दूरभाष पर याचित मार्गदर्शन के संबंध में पुनः कहना है कि कारा हस्तक नियम की सुसंगत धाराओं के तहत उच्च श्रेणी बंदी को प्राप्त सुविधाओं के परिपे्रक्ष्य में एवं निर्धारित मुलाकाती प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्र मुलाकात कराया जाय ।'' उपायुक्त, सिमडेगा के इस पत्र को आरोपी के द्वारा प्रभारी कारापाल को ही पृष्ठांकित किया गया ।

कारा हस्तक का नियम-222 इस प्रकार है:-

222.- "The jailor is the chief executive officer of the jail and is under the immediate directions of Superintendent whose order he is bound to obey. He shall be responsible for the strict carrying out of all the rules in this manual relating to the management of the jail and prisons. He should therefore make himself thoroughly acquainted with the rules and with the circulars issued by the Inspector General."

आरोपी के द्वारा श्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री के आवेदन पर प्रभारी कारापाल को नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया । उपायुक्त, सिमडेगा का उपर्युक्त पत्र भी प्रभारी कारापाल को ही, आरोपी के द्वारा पृष्ठांकित किया गया है । ऐसी स्थिति में कारा हस्तक के नियम-222 के अनुसार प्रभारी कारापाल को ही कारा हस्तक के नियमों एवं कारा महानिरीक्षक के परिपत्रों का अनुपालन करने/कराने की जिम्मेवारी है । यदि किसी नियम/परिपत्र के अनुपालन में कोई कठिनाई थी तो प्रभारी कारापाल को काराधीक्षक (आरोपी) को अवगत कराना चाहिये था । अतः VMS की प्रक्रिया एवं नियम 635 का अनुपालन नहीं करने हेतु प्रभारी कारापाल को ही जिम्मेवार माना जा सकता है । प्रभारी कारापाल के विरूद्व आरोप प्रमाणित होने के कारण उन्हे दण्डित भी किया गया है।

अतः आरोपी जो मूलतः अंचल अधिकारी थे तथा काराधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार मे थे, उनके विरूद्व आरोप संख्या-1 का गठन का कोई औचित्य नहीं है । फलतः आरोपी के विरूद्व यह आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-2 पर मंतव्य- आरोप सं०-1 के संदर्भ में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रभारी कारापाल द्वारा यदि किसी नियम/परिपत्र का अनुपालन नहीं किया गया तो उसके लिये प्रभारी काराधीक्षक (आरोपी) को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । आरोपी के द्वारा कभी भी प्रभारी कारापाल को यह निदेश नहीं दिया गया कि VMS की प्रक्रिया किये बगैर पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात करायी जाय । वर्तमान अधीक्षक, मण्डल कारा सिमडेगा (उपस्थापन पदाधिकारी) का भी यह मंतव्य है कि आरोप सं०-2 में भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । अतः आरोपी के विरूद्व लगाया गया दूसरा आरोप भी सही नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-3 पर मंतव्य- उपायुक्त, सिमडेगा से प्राप्त निदेश के आलोक में पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड श्री मधु कोड़ा के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में उच्च श्रेणी के बंदी वर्तमान विधायक एनोस एक्का से मिलने हेतु यदि नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तो नियम 635-। का उल्लंघन आरोपी द्वारा किया गया, ऐसा नहीं माना जा सकता है । नियम 635-। में कहा गया है कि " Unconvicted criminal prisoners shall be allowed the privilege of interview and writing letters once a fortnight and often in connection with his own case."! राज्य के काराओं मे अधिष्ठापित VMS (Visitor Management System) में अपलोड सॉफ्टवेयर में यदि विचाराधीन बंदी के मामले में सात दिनों में मुलाकात की व्यवस्था की गयी है तो इससे प्रतीत होता है कि नियम 635A को शिथिल किया गया है । दूसरी बात है कि नियम 635A में 'Fortnight' के साथ-साथ "often" शब्द का भी प्रयोग किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में आरोपी के विरूद्व नियम 635-। के उल्लंघन का आरोप सही नही प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-4 पर मंतव्य- कारा हस्तक के नियम-627 के आलोक में कारा अधीक्षक सामान्यतः मुलाकात की 20 मिनट की निर्धारित अवधि को बढा सकता है तथा श्री मधु कोड़ा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मण्डल कारा सिमडेगा में उच्च श्रेणी के बंदी के मुलाकात के लिये पूर्व से निर्धारित स्थल पर मुलाकात कराने की व्यवस्था की गयी । अतः आरोपी के विरूद्व गठित आरोप संख्या-4 सही नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-5 पर मंतव्य- कारा हस्तक के किस नियम के तहत किसी बंदी से मुलाकात हेतु कारा महानिरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । हाँ इतना अवश्य है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा एक विचाराधीन बंदी जो स०वि०स० भी है, से मुलाकात की गयी तो निष्चित रूप से यह एक विशेष घटना थी । अतः काराधीक्षक (आरोपी) को उक्त मुलाकात की बात कारा महानिरीक्षक के संज्ञान में लानी चाहिये थी । कारा अधीक्षक, मण्डल कारा, सिमडेगा के पत्रांक 385 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के द्वारा कारापाल से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर आरोपी के द्वारा सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए क्षमा याचना भी की गयी है । आरोपी के द्वारा प्रभारी कारापाल के विरूद्व कार्रवाई की अनुषंसा नहीं की गयी तथा अपने स्तर से ही यदि प्रभारी कारापाल को भविष्य में मुलाकात सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निदेश दिया गया तो इससे आरोपी के विरूद्व प्रभारी कारापाल द्वारा हुई चूक में सहभागिता का आरोप लगाना उचित नही प्रतीत होता है । साथ ही इससे कारा हस्तक नियम 172 (2) का उल्लंघन का भी कोई मामला नही बनता है । कारा हस्तक नियम 172 (2) इस प्रकार है है " All subordimate officers are bound- to render prompt and strict obedience to all lawfull orders of his superior officers and to treat all superior officers and visitors with respect; (Corresponding Rule 21).

आरोप सं०-6 पर मंतव्य- आरोपी द्वारा कारा महानिरीक्षक को अधीक्षक मण्डल कारा सिमडेगा के पत्रांक 385 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया । स्पष्टीकरण कारा महानिरीक्षक के पत्रांक 846 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में बिन्दुवार दिया गया है । उक्त पत्र की प्रथम कंडिका में यह स्पष्ट किया गया है कि कारापाल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है । उक्त स्पष्टीकरण में बिन्दु संख्या-1 पर यह लिखा गया है कि '' मुलाकाती से सम्बन्धित सभी प्रक्रिया पूरी की गयी थी'' किन्तु उसके बाद बिन्दु संख्या-3 पर यह भी लिखा गया है कि VMS के माध्यम से मुलाकात नहीं करायी जा सकी थी तथा बिन्दु संख्या-4 पर यह भी अंकित है कि '' एनोस एक्का से दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को 10.00 बजे पूर्वाहन मे रेखा मिंज नामक महिला (भतीजी) से मुलाकात हुई थी । विशेष परिस्थिति में उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा दूरभाष पर दिये गये निदेश के आलोक मे कारा हस्तक नियम 635 का अनुपालन नहीं किया जा सका । पुनः उक्त पत्र मे यह भी स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि कारापाल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार कण्डिका 03 एवं 04 का अनुपालन नहीं किया जा सका । अतः आरोपी पदाधिकारी पर वरीय पदाधिकारियो को दिग्भ्रमित करने का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-7 पर मंतव्य- आरोपी चूँकि काराधीक्षक के भी प्रभार में थे, अतः उन्हे दिनांक 27 जनवरी, 2016 से 29 जनवरी, 2016 तक विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की सूचना कारा निरीक्षणालय को भी देनी चाहिये थी । आरोपी 29 जनवरी, 2016 को मुख्यालय से बाहर थे, अतः 29 जनवरी, 2016 को बंदी एनोस एक्का के बिना पर्याप्त सुरक्षा के पैरोल पर मुक्त किये जाने हेतु आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को श्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखण्ड एवं सिमडेगा कारा मे संसीमित बंदी एनोस एक्का की मुलाकात की घटना को लेकर ही आरोपी के विरूद्व उपरोक्त सात आरोप गठित किये गये है । इस पूरे घटना क्रम के संबंध में विचार करने पर इनका यह मानना है कि कारा से सम्बन्धित कार्यों की जानकारी एवं अनुभव के अभाव में आरोपी के द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में निम्न चूक हुई है:-

(i) श्री मधु कोड़ा एवं एनोस एक्का के मुलाकात की सूचना कारा निरीक्षणालय को तत्काल नहीं दी गयी ।

(ii) दिनांक 27 जनवरी, 2016 से 29 जनवरी, 2016 तक मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की सूचना कारा निरीक्षणालय को नहीं दी गयी ।

(iii) जब प्रश्नगत मुलाकात के समय आरोपी स्वयं कारा परिसर में उपस्थित थे तो उन्हे स्वयं भी आश्वस्त हो जाना चाहिये था कि मुलाकाती की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं ।

श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई ।

समीक्षोपरांत, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री संजय कुमार सिंह, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिमडेगा-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, सिमडेगा सम्प्रति अंचल अधिकारी, बरही, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के लघु शास्तियाँ (iii) के तहत् इनके दो वेतन वृद्धि पर असंचात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 608--50